रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263461
CG-DL-E-29052025-263461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947**
No. 308]	**NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 351(अ).—-केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख और धारा 164ग की उप-धारा (2) के खंड (फ), (ब), (भ) और (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है। विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2025 कहा गया है।

(2) इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 (जिसे इसमें आगे उक्त नियम के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) के नियम 2 में,—

(i) उप-नियम (ड.) का विलोपन किया जाएगा;

3. उक्त नियम में, नियम 3 के उप-नियम (ग) में, शब्द "धनराशि" के स्थान पर "खाता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियम के, नियम 4 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(4) न्यास, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अन्य कार्य करेगा तथा अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।"

5. उक्त नियम के नियम 5 में,-

(i) सारणी के क्रम संख्या 5 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कोई ऐसा अधिकारी, उप सचिव की रैंक से नीचे का न हों";

6. उक्त नियम में नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,—

"(1). न्यास के उद्देश्यों और उसकी प्राप्ति के प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलों को आगे बढाने के लिए न्यास की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:—

(क) मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास निधि) के कार्यकरण और उपयोग का कालिक पुनर्विलोकन और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सुसंगत सुधारात्मक उपायों के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों को प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित योजना के कार्यान्वयन पर केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ग) केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 10 के अधीन विरचित मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास निधि) में किए गए अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग के आधार पर मात्रा का वार्षिक पुनर्विलोकन करना;

(घ) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों के लिए प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों या अभिकरणों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर विचार-विमर्श करना;

(ड.) किसी प्राधिकरण या अभिकरण को, निम्नलिखित कार्यों में से एक या अधिक के लिए ऐसे प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट किये गए ऐसे शर्तों और सीमाओं के अध्याधीन, प्राधिकृत करना, नामतः -

(i) मोटर यान दुर्घटना निधि का प्रबंधन;

(ii) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों को प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित योजना का कार्यान्वयन;

(iii) केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 11 के अनुसार मोटर यान दुर्घटना निधि का उपयोग सुनिश्चित करना।

(च) मोटर यान दुर्घटना निधि के प्रशासन या हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों को प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य मुद्दे;

(छ) न्यास के कार्यकरण के लिए न्यास के नियम, विनियम और उपनियम बनाना;

(ज) कोई अन्य मामला जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जिनके लिए न्यास का गठन किया गया था।

(2) न्यास के कार्यों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन न्यासी बोर्ड में निहित होगा, जो सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कृत्यों और कार्यो को करेगा जो न्यास द्वारा प्रयोग या किए जाएंगे हैं।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(i) उप नियम (1) में,—

(क) “न्यासी” शब्दों के पश्चात् “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “अभिलेख” शब्दों के पश्चात् “प्राप्त और संवितरित दावों के अभिलेखों सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) में, “न्यासी” शब्दों के पश्चात् “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप नियम (3) में, “न्यासी” शब्दों के पश्चात् “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप नियम (4) में, “न्यासियों द्वारा अनुरक्षित” शब्दों के पश्चात् “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(v) उप नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः—

“(8) न्यासियों या न्यास द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अभिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन विरचित योजनाओं के अधीन भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार किया जाए।

(9) केंद्रीय सरकार इन नियमों, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर योजना, 2022 और धारा 162 के अधीन विरचित गई योजना को कार्यान्वित करने के हित में ऐसी कार्रवाई कर सकती है, जो वह उचित समझे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में,—

(i) नियम 10 को उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) के खंड (क) में, जैसा कि संख्यांकित है,—

(क) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड और परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

“न्यास द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भारत में मोटर बीमा चलाने वाली बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा प्रतिशत:

बशर्ते कि बीमा कंपनियां न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर, न्यास द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंशदान जमा करेंगी। "

(iii) उप-नियम (1) के खंड (ख) में, जैसा कि संख्यांकित है,—

क. खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः,—

“(v) इननियमों के अनुसार जमा की गई कोई प्रतिपूर्ति।”

(iii) उप-नियम (1) के खंड (ग) में, जैसा कि संख्यांकित है,—

(क) खंड (क) में निम्नलिखित खंड और परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

“न्यास द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भारत में मोटर बीमा के कारबार को चलाने वाली बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा प्रतिशत:

बशर्ते कि बीमा कंपनियां न्यास द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर, न्यास द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंशदान जमा करेंगी। "

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

“मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि।”

(iv) उप-नियम (1) के पश्चात्, जैसा कि संख्यांकित है, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

“(2) न्यास समय-समय पर न्यूनतम शेष राशि निर्दिष्ट कर सकता है जिसे धारा 162 के अधीन विरचित योजना की अपेक्षाओं के आधार पर बीमाकृत मोटर यानों के लिए खाते में और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर योजना, 2022 की अपेक्षाओं के आधार पर हिट एंड रन प्रतिकर खाते में अनुरक्षित रखा जाएगा।”

9. उक्त नियम के नियम 11 में,—

(i) उप-नियम (क) में,—

(क) खंड (i) में, "बीमाकृत यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं" शब्दों के पश्चात् "और धारा 162 के अधीन विरचित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रभार के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) और (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (ख) में,—

(क) खंड (i) में, उप-खंड (क) में, "अबीमाकृत मोटर यानों द्वारा कारित और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित" शब्दों के स्थान पर, "बीमाकृत मोटर यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं को छोड़कर और धारा 162 के अधीन विरचित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) और (iii) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (ग),—

क. खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,—
"हिट एंड रन प्रतिकर खाते का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को धारा 161 के अनुसार प्रतिकर प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिसे हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर योजना, 2022 के साथ पढ़ा जाएगा और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर योजना, 2022 के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रभार के लिए उपयोग किया जाएगा।"

(ख) खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(i) उप-नियम (2) में, "नामनिर्दिष्ट अभिकरण को निधि अंतरित करना" शब्दों के स्थान पर, "न्यास द्वारा अधिकृत ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि के उपयोग की अनुमति देना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) में,—

(क) "अबीमाकृत मोटर यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना" शब्दों के स्थान पर "बीमाकृत मोटर यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं को छोड़कर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा;

(v) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

"यदि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना करने वाले मोटर यान की बाद में पहचान हो जाती है:-

(क) प्राधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी, जैसा भी मामला हो, पीड़ित के नकदी रहित उपचार पर व्यय की गई अनुमोदित दावा राशि को अबीमाकृत वाहन या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के लिए खाते में प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) और यदि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय पारित किया है, तो प्राधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर योजना, 2022 के अंतर्गत प्राप्त प्रतिकर राशि को ऐसे निर्णय के अनुसार हिट एंड रन प्रतिकर खाते में वापस कर देगा।"

(vi) उप-नियम (7) का उसके परंतुक सहित लोप किया जाएगा;

(vii) *स्पष्टीकरण* में, " नामनिर्दिष्ट अभिकरण" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किया जाए" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. उक्त नियमों में, नियम 14 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019- एमवीएल(समिति ई)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ), दिनांक 25 फरवरी 2022, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 351(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 164B and clauses (v), (w), (x), and (y) of sub-section (2) of section 164C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Amendment Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 (herein after referred to as the said rules), in rule 2,—

(i) sub-rule (e) shall be omitted;

3. In the said rules, in sub-rule (c) of rule 3, the word "Amount" shall be substituted with the word "Account".

4. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely-

"(4) The Trust shall perform such other functions and discharge such other responsibilities related to road accidents as may be specified, from time to time, by the Central Government".

5. In the said rules, in rule 5,—

(i) in Serial Number 5 of the Table, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely: —

"An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways";

6. In the said rules, rule 6 shall be substituted with the following,—

"(1). For the furtherance of the objects of the Trust, and matters incidental or ancillary to the attainment thereof, the Trust shall have the following powers:—

(a) to periodically review of the working and utilisation of the Motor Vehicles Accident Fund (Trust Corpus), and make recommendations to the Central Government for relevant corrective steps, wherever necessary;

(b) to make recommendations to the Central Government on the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(c) to annually review the quantum based on the receipt of contributions made to the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) made under rule 10 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicles Accident Fund) Rules, 2022 and utilisation thereof;

(d) to deliberate upon any issues raised by organisations or agencies responsible for the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(e) to authorise, subject to such conditions and limitations as may be specified in such authorisation, any authority or agency for one or more of the following functions, namely,—

(i) the management of the Motor Vehicle Accident Fund;

(ii) implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(iii) to ensure utilisation of the Motor Vehicles Accident Fund in accordance with rule 11 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicles Accident Fund) Rules, 2022.

(f) any other issues related to the administration of the Motor Vehicles Accident Fund or implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(g) frame rules, regulations and bye laws of the Trust for the working of the Trust;

(h) any other matter directly related to the attainment of the objectives for which the Trust was constituted.

(2). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Trust shall vest in the Board of Trustees which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Trust."

7. In the said rules, in rule 8,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) after the words "The Trustees", the words "or such authority or agency as may be authorised by the Trust" shall be inserted;

(b) after the word "records", the words "including records of the claims received and disbursed" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), after the words "The Trustees", the words "or such authority or agency as may be authorised by the Trust" shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), after the words "The Trustees", the words "or such authority or agency as may be authorised by the Trust" shall be inserted;

(iv) in sub-rule (4), after the words "maintained by the Trustees", the words "or such authority or agency as may be authorised by the Trust" shall be inserted.

(v) after sub-rule (7), following shall be inserted, namely,—

"(8) The Trustees or such authority or agency as may be authorised by the Trust shall ensure that payments are made as per the specified time limit under the schemes framed under the Act.

(9) The Central Government may take such action as it may deem fit in the interest of implementing these rules, the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the Scheme framed under Section 162."

8. In the said rules, in rule 10,—

(i) the rule 10 shall be numbered as sub-rule (1);

(ii) in clause (a) of sub-rule (1) as so numbered,—

(a) for clause (i), the following clause and proviso shall be substituted, namely,—

"such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of motor insurance in India as may be specified by the Trust:

Provided that the insurance companies shall deposit contributions as and when specified by the Trust, within such period as may be specified by the Trust.";

(iii) in clause (b) of sub-rule (1) as so numbered, —

a. clause (i) shall be omitted;

(b) after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely,—

"(v) any reimbursement deposited in accordance with these rules.";

(iii) in clause (c) of sub-rule (1) as so numbered,—

(a) in clause (a), following clause and proviso shall be substituted, namely,—

"such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of motor insurance in India as specified by the Trust:

Provided that the insurance companies shall deposit contributions as and when specified by the Trust, within such period as may be specified by the Trust."

(b) for clause (b), the following shall be substituted, namely,—

"such amount as may be awarded by the Motor Accident Claim Tribunal."

(iv) After sub-rule (1) as so numbered, following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(2) The Trust may, from time to time, specify a minimum balance which shall be maintained in the Account for Insured Vehicles, based on the requirements of the scheme framed under Section 162 and the Hit and Run Compensation Account based on the requirements of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.".

9. In rule 11 of the said rules,—

(i) in sub-rule (a),—

(a) in clause (i), after the words "accidents caused by insured vehicles", the words "and for any charges relating to the implementation of the scheme framed under Section 162" shall be inserted;

(b) clauses (ii) and (iii) shall be omitted;

(ii) in sub-rule (b),—

(a) in clause (i), in sub-clause (a), for the words "caused by uninsured vehicles and hit and run motor accident victims", the words "other than those caused by insured vehicles and any charges relating to implementation of the scheme framed under Section 162" shall be substituted;

(b) clauses (ii) and (iii) shall be omitted;

(iii) sub-rule (c),—

a. For clause (i), following shall be substituted, —

"Hit and Run Compensation Account shall be utilised for providing compensation to hit and run accident victims as per Section 161, read with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and for any charges related to implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022."

(b) clause (ii) shall be omitted.

10. In the said rules, in rule 12,—

(i) in sub-rule (2), for the words "transfer the fund to the designated agency", the words "permit the utilisation of the Motor Vehicle Accident Fund by such authority or agency authorised by the Trust" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), the words "by the designated agency" shall be omitted;

(iii) in sub-rule (4),—

(a) for the words "motor accidents caused by uninsured vehicles", the words "accidents other than those caused by insured vehicles" shall be substituted;

(b) the words "by the designated agency" shall be omitted;

(iv) sub-rule (5) shall be omitted;

(v) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

"If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is subsequently identified:-

(a) the authorised insurer or owner, as the case may be, shall be liable to reimburse the approved claim amount spent on the cashless treatment of the victim, to the Account for Uninsured Vehicle or Hit and Run Motor Accident;

(b) and if the Motor Accident Claim Tribunal has passed an award, the authorised insurer or owner shall return the compensation amount received under the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 to the Hit and Run Compensation Account, in accordance with such award.";

(vi) sub-rule (7), along with the proviso thereto, shall be omitted;

(vii) in the *Explanation*, for the words "the designated agency", the words "such authority or agency as may be specified by the Central Government." shall be substituted.

11. In the said rules, rule 14 shall be omitted.

[F.No. RT-11036/64/2019-MVL(Committee E)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 162(E), dated the 25 February 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.